राम नंदन सिंह व अन्य

बनाम

एजी ऑफिस एम्प्लॉयज को-ऑप हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी, रांची व अन्य

सितम्बर 28, 2007

{एस.बी. सिन्हा और एच.एस. बेदी, जे.जे.}

भारत का संविधान, 1950 अनुच्छेद 136- अपील दायर करने का हस्तक्षेपकर्ता का अधिकार-अभिनिर्धारितः अपीलकर्ताओं को एकल न्यायाधीश के समक्ष और लेटर्स पेटेंट अपील में भी हस्तक्षेपकर्ता के रूप में शामिल किये गये थे-वे व्यथित व्यक्ति भी थे-इसलिए उन्हें अपील करने का अधिकार था।

न्यायिक प्रतिबंधः सक्षम प्राधिकारी और सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच रिपोर्ट-चुनौती-उच्च न्यायालय द्वारा मामले को सांविधिक प्राधिकरण को भेजा गया-इस आशय की टिप्पणियाँ पारित की गईं कि यह आपत्तियों को आमंत्रित करेगा और इसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश की रिपोर्ट से भिन्न होने की स्वतंत्रता होगी-का औचित्य-अभिनिर्धारित-मामले में निर्णय लेना सांविधिक प्राधिकरण का काम है और उच्च न्यायालय के लिए यह टिप्पणी करना आवश्यक नहीं था कि उक्त सांविधिक प्राधिकरण को मामले का कैसे निस्तारण करना चाहिए-

प्रशासनिक कानून-सांविधिक प्राधिकरण-बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935।

अपीलकर्ता प्रत्यर्थी संख्या-01 सोसाइटी के सदस्य हैं। 1970 में, सोसाइटी द्वारा अपने सदस्यों के लाभ के लिए भूमि आवंटित की गई थी। 1983 में, नियमों में संशोधन किए गए जिसके तहत उक्त सोसाइटी द्वारा बाहरी लोगों को भूमि आवंटन की अनुमति दी गयी। इन संशोधनों पर प्रश्न उठाए गए। इस दौरान प्रबंधक सोसाइटी के सदस्यों द्वारा की गयी गंभीर अनियमितताओं को इंगित किया गया। जांच के आदेश दिये गये। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट रजिस्ट्रार को सौंप दी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर सोसाइटी की प्रबंधक सोसाइटी को निलंबित कर दिया गया। प्रबंधक सोसाइटी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गयी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने लेटर्स पेटेंट अपील दायर की। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 18.05.2004 के आदेश द्वारा सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार को जांच करने का निर्देश दिया। इन निर्देशों के साथ अपील खारिज कर दी गई। हालांकि जांच रिपोर्ट की सत्यता को लेकर एक बार फिर प्रश्न उठा। दिनांक 02.09.2005 को उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को जांच हेतू नियुक्त करने के आदेश दिये गये। इसके अनुसरण में जांच की गई और रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रबंधक सोसाइटी द्वारा उक्त लेटर्स पेटेंट अपील में एक

अन्य आवेदन दायर करके उक्त रिपोर्ट की सत्यता पर फिर से प्रश्न उठाया गया।

आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अभिनिर्धारित किया कि लेटर्स पेटेंट अपील को सुना गया और आदेश दिनांक 18.05.2004 द्वारा निस्तारण किया गया और इस प्रकार उक्त न्यायालय ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया अर्थात फंक्टस आफिसीओ बन गया। फिर भी टिप्पणियों के निस्तारण के लिए प्रकरण सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार को भेज दिया गया, जो रजिस्ट्रार द्वारा पूर्व में प्रस्तुत रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करेगा, जिसे उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की रिपोर्ट से विस्थापित किया गया है और सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा सौंपी गयी जांच रिपोर्ट पर आपत्तियां आमंत्रित करते हुए अपने विवके का प्रयोग करेंगे कि क्या वह जांच रिपोर्ट से असहमत है या उसे स्वीकार करते हैं और आवश्यक कार्यवाही करेंगे। अपीलकर्ताओं को एकल न्यायाधीश के समक्ष हस्तक्षेपकर्ता के रूप में शामिल किया गया। उन्होंने विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से आक्षेपित आदेश की न्यायसंगतता पर प्रश्न उठाया।

न्यायालय ने अपील को अनुमति दी।

अभिनिर्धारितः 1.1. अपीलकर्ता सोसाइटी के सदस्य हैं। वे उच्च न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रख रहे हैं। उन्हें लेटर्स पेटेंट अपील में पक्षकारों के रूप में शामिल किया गया। वे न केवल हस्तक्षेपकर्ता की

हैसियत से, बल्कि व्यथित व्यक्ति के तौर पर भी विशेष अनुमति याचिका दायर करने के अधिकारी हैं। अपील की पोषणीयता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति खारिज की गयी। [पैरा 13] [654-ई]

संदर्भितः [1970] 3 एससीसी 321 *एन. स्वेन व अन्य बनाम बी.के. मोहापात्र* व *अन्य एवं [2006] 5 एससीसी 62 रवि राव गायकवाड़ व अन्य बनाम राजाजीनगर युवा समाज कल्याण एसोसिएशन व अन्य।*

1.2. निर्विवाद रूप से, बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के अंतर्गत नियुक्त सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार, जिसे राज्य संगठन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार झारखंड राज्य द्वारा राज्य के विभाजन के समय अपनाया गया था, एक सांविधिक प्राधिकरण है। सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार को उक्त अधिनियम की धारा 41 औरध्या धारा 48 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उचित आदेश पारित करने का अधिकार है। सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश अपील योग्य हैं। [पैरा 14] [654-एफ-जी]

2.1. जिसने भी प्रबंधक सोसाइटी के तत्कालीन सदस्यों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच की थी, निर्विवाद रूप से जांच रिपोर्ट रजिस्ट्रार के समक्ष रखी जानी है ताकि वह किसी निर्णय पर पहुंच सकें। इसलिए, सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित किया जाना चाहिए, जिसके लिए जांच रिपोर्ट पर गौर किया जाना

चाहिए। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की रिपोर्ट निर्विवाद रूप से बहुत महत्वपूर्ण होगी, इस पर प्रभावी ढंग से विचार किया जाना चाहिए। [पैरा 15] [654-एच; 655-ए]

2.2. इसके संबंध में कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं थी, यह कहना पर्याप्त है कि इस मामले में निर्णय लेना सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार का काम है और उस उद्देश्य के लिए उच्च न्यायालय की खंडपीठ के लिए यह टिप्पणी करना पूर्णतया अनावश्यक था कि उक्त सांविधिक प्राधिकरण को प्रकरण में कैसे कार्य करना चाहिए। सांविधिक प्राधिकरण कानून के अनुसार कार्य करने और संविधि के चारों कोनों के भीतर अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। [पैरा 17] [655-डी-ई]

3. सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में की गई टिप्पणियों से किसी तरह से प्रभावित हुए बिना उसके समक्ष रखी गयी जांच रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक सामग्रियों के आधार पर लंबित मुद्दे का निर्धारण करने के लिए कार्य करेगा। [पैरा 18] [655-एफ]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 4586/2007

उच्च न्यायालय, रांची न्यायाधिकरण की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 101/2004 के निर्णय एवं अंतिम आदेश दिनांकित 06.01.2006

विजय कुमार, सी. जय राज, मयूरी वत्स और विश्वजीत सिंह (अपीलार्थीगण)

नागेन्द्र राय, अंकुल राज, एस. चन्द्र शेखर, अभिषेक कुमार, साकेत सिंह, बी.बी. सिंह, निशा बागची, विशाल कुमार और विकास मेहता (प्रत्यर्थीगण)

न्यायालय के निर्णय एस.बी. सिन्हा, जे द्वारा अनुमति स्वीकृत

1. यह अपील झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 101@2004 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 06.01.2006 के विरूद्ध निर्देशित है, जिसके तहत यह निर्देशित किया गयाः-

> "पक्षकारों को सुनने के पश्चात, हमारा विचार है कि यह न्यायालय अपना कार्य पूर्ण कर चुका है अर्थात फंक्टस आफिसीओ बन चुका है। अपील के निस्तारण के पश्चात वर्तमान अपील में किसी भी प्रश्न का निर्णय करना आवश्यक नहीं रह गया है, लेकिन केवल यह देखने के लिये कि सक्षम प्राधिकारी को सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 41 और उक्त अधिनियम के अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत आदेश पारित करने के लिए सक्षम करने की दृष्टि से और यह पता लगाने के लिये कि क्या कुछ आवंटनों को रद्द किया जाना है या इस संबंध में कोई उचित कदम उठाना होगा, उक्त प्रकरण सक्षम प्राधिकारी अर्थात सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार, झारखंड सरकार, रांची को भेजा दिया गया, जो सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार,

झारखंड सरकार, रांची द्वारा पूर्व में प्रस्तुत रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करेगा,जिसे श्री न्यायमूर्ति विक्रमादित्य प्रसाद द्वारा रिपोर्ट से विस्थापित किया गया है। रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, रांची, जांच रिपोर्ट पर गौर करेंगे और आदेश की प्रति प्राप्त होने/तैयार होने के 4 महीने के भीतर, अपीलकर्ताओं और अन्य आवश्यक पक्षकारों को अवसर देने के बाद, इस प्रश्न का निर्धारण करेंगे कि क्या कार्यवाही, यदि कोई हो, जो कानून के अनुसार की जानी आवश्यक है। श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) विक्रमादित्य प्रसाद द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में यदि कोई दोष हो तो अपीलकर्ता उसे इंगित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी अपने विवेक का प्रयोग करेंगे और यह निर्धारित करेंगे कि क्या वह जांच रिपोर्ट से असहमत होंगे या उसे या उसके किसी हिस्से को स्वीकार करेंगे और कानून के अनुसार क्या कार्यवाही की जानी आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण में कोई अन्य आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।"

3. प्रत्यर्थी संख्या-01 सोसाइटी के सदस्यों के लाभ के लिए वर्ष 1970 में भूमि का अधिग्रहण किया गया था। यह बताया जाता है कि वर्ष 1983 में नियमावली में कथित संशोधन कर उक्त सोसाइटी द्वारा बाहरी लोगों को भी भूमि आवंटन की अनुमति दे दी गयी। जब यह प्रश्न सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष विचाराधीन था कि ऐसे संशोधनों की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं तो प्रबंधक सोसाइटी के सदस्यों द्वारा की गयी

गंभीर अनियमितताओं को इंगित किया गया। राज्य के मुख्य सचिव के हस्तक्षेप पर सहकारी सोसाइटीयों के संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा जांच करने का निर्देश दिया गया। उक्त प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट के आधार पर सोसाइटी की प्रबंधक सोसाइटी को निलंबित कर दिया गया।

4. इसके विरुद्ध सोसाइटी की प्रबंधक सोसाइटी द्वारा दायर एक रिट याचिका खारिज कर दी गई। लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 101@2004 के विरुद्ध एक इंट्रा न्यायालय अपील को प्राथमिकता दिए जाने पर, उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा 10.03.2004 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गयाः-

> "यह प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने सर्कल अधिकारी, रांची को अस्थायी रूप से सोसाइटी के प्रकरणों का प्रभारी बनने का निर्देश दिया है। यदि उन्होंने पहले ऐसा नहीं किया है तो हम उन्हें विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देशानुसार अस्थायी रूप से कार्यभार संभालने का निर्देश देते हैं। यदि आवश्यक हो तो पुलिस अधीक्षक, रांची को निर्देश दिया जाता है कि वे अपील के तहत निर्णय में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देश के अनुपालन में उन्हें आवश्यक सुरक्षा प्रदान करें। वह यह पता लगाने के लिए भी खोज करेंगे कि क्या सोसाइटी की उपविधि से संबंधित संशोधन को रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किया गया था और क्या इस संबंध में

सोसाइटी में कोई दस्तावेज उपलब्ध है और यदि ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध है, तो इसे इस न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए सरकारी अधिवक्ता को उपलब्ध कराएं।"

5. खंडपीठ द्वारा पारित एक अन्य आदेश दिनांकित 18.05.2004 (20.04.2004 को सीएवी) में मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद निर्देश दिया गयाः-

" फिर प्रश्न यह है कि जांच कौन करेगा। अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार इसका संचालन केवल सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार द्वारा किया जा सकता है। हस्तक्षेपकर्ता के अधिवक्ता ने यहां तक कहा कि जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी जानी चाहिए, चूंकि यह देखा जा सकता है कि इसे हर स्तर पर प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा विफल करने की कोशिश की गयी थी। हमारे निष्कर्ष के अनुरूप सरकार के पास जांच करने की शक्ति है, इसे किसी भी एजेंसी को सौंपा जा सकता है। विद्वान महाधिवक्ता द्वारा कहा गया कि इस न्यायालय द्वारा ही जांच का आदेश दिया जाना चाहिए, ताकि जांच में किसी भी संभावित बाधा को समाप्त किया जा सके। *विद्वान महाधिवक्ता के तर्कों से हमें यह प्रकट होता है कि यह संभव है, शिकायत की उचित जांच को बाधित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, जब तक कि जांच के संचालन के लिए इस न्यायालय के*

प्राधिकरण का समर्थन न हो। हमें नहीं लगता है कि इस स्तर पर जांच हमें केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपनी चाहिए। हमारा मत है कि इस न्यायालय के इस आदेश द्वारा प्राधिकृत सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार द्वारा जांच करने का निर्देश देना उचित होगा। जांच के उचित संचालन के लिए सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार सीधे इस न्यायालय के प्रति जवाबदेह होंगे और वह यह सुनिश्चित करेंगे कि प्राकृतिक न्याय के सभी सिद्धांतों का पालन करते हुए गहन जांच की जाए। यदि इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली जांच का निष्कर्ष अधिनियम की धारा 41 और सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अन्य संबंधित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही और किए गए कुछ आवंटनों को रद्द करना उचित ठहराता है तो इस संबंध में रजिस्ट्रार को उचित कदम उठाने होंगे। जांच पूर्ण होने के बाद इन पहलुओं को इस न्यायालय द्वारा भी अपनाया और विचार किया जा सकता है। यह कहना पर्याप्त है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देश को दबाते हुए हम अपीलकर्ताओं और हस्तक्षेपकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देने के बाद, सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार को शिकायतों की गहन जांच करने का निर्देश देते हैं। सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार द्वारा सीलबंद लिफाफे में जांच की रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और उचित अनुवर्ती आदेश प्राप्त किए जाएंगे। जांच तीन माह में पूरी की जाएगी। जांच के संचालन के

लिए सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार इस न्यायालय के प्रति जवाबदेह होंगे। जांच पूरी होने पर, अपीलकर्ता सोसाइटी के प्रबंधन के संबंध में उचित निर्देश के लिए इस न्यायालय में जाने के लिए भी स्वतंत्र होंगे...''

(जोर दिया गया)

उपरोक्त निर्देशों के साथ अपील खारिज कर दी गई।

6. हालाँकि, सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट की सत्यता या अन्यथा के संबंध में प्रश्न फिर से उठाया गया है, उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा आदेश दिनांक 02.09.2005 में निम्नानुसार निर्देशित किया हैः-

''4. उक्त रिपोर्ट पर संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 41 के प्रावधानों पर विचार करने के बाद, और अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित श्री वाई.वी. गिरि द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए कि सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण थी और स्थिति की सही तस्वीर पेश नहीं करती, हमारा मत है कि अपीलकर्ताओं के खर्च पर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा एक नई जांच की जा सकती है ताकि विवाद पर विराम लगाया जा सके।''

5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री विक्रमादित्य प्रसाद को नियुक्त करते हैं कि वे प्रबंधक सोसाइटी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों और चुनाव के दौरान भी की गई अनियमितताओं की जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिस तारीख को संदर्भ दर्ज करना चाहते है, उस तारीख से एक माह के भीतर इस न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करें, हमें उम्मीद है कि जो इस आदेश की प्राप्ति के बाद एक सप्ताह से अधिक नहीं होगी। आरोपों की जांच के प्रयोजन के लिए, विद्वान न्यायाधीश को इसमें शामिल पक्षकारों और उनके विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है, जिनसे विद्वान न्यायाधीश के साथ सहयोग करने की आशा की जाती है। विद्वान न्यायाधीश को 30,000@- रुपये का समेकित पारिश्रमिक दिया जाएगा, जिसे अपीलकर्ताओं द्वारा तारीख से एक सप्ताह के भीतर इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा किया जाएगा। विद्वान न्यायाधीश उक्त राशि को पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(जोर दिया गया)

7. उसके अनुसरण में, एक जांच की गई और एक रिपोर्ट दर्ज की गई। यहां प्रत्यर्थी संख्या-02 सोसाइटी की प्रबंधक सोसाइटी ने उक्त लेटर्स पेटेंट अपील में एक और आवेदन दायर करके उक्त रिपोर्ट की सत्यता पर प्रश्न उठाया। हालांकि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने देखा कि लेटर्स पेटेंट

अपील को आदेश दिनांक 18.05.2004 द्वारा सुना और निपटाया गया था और इस प्रकार न्यायालय ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया था अर्थात फंक्टस आफिसीओ बन गया था, फिर भी कुछ टिप्पणियाँ करने के लिए कार्य किया, जो हमारी राय पूर्णतः अनुचित था। उक्त टिप्पणियाँ इस प्रकार हैंः

> "...उक्त प्रकरण सक्षम प्राधिकारी अर्थात सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार, झारखंड सरकार, रांची को भेजा दिया गया, जो सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार, झारखंड सरकार, रांची द्वारा पूर्व में प्रस्तुत रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करेगा, जिसे श्री न्यायमूर्ति विक्रमादित्य प्रसाद द्वारा रिपोर्ट से विस्थापित किया गया है। रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, रांची, जांच रिपोर्ट पर गौर करेंगे और आदेश की प्रति प्राप्त होने/तैयार होने के 4 माह के भीतर, अपीलकर्ताओं और अन्य आवश्यक पक्षकारों को अवसर देने के बाद, इस प्रश्न का निर्धारण करेंगे कि क्या कार्यवाही, यदि कोई हो, जो कानून के अनुसार की जानी आवश्यक है। श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) विक्रमादित्य प्रसाद द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में यदि कोई दोष हो तो अपीलकर्ता उसे इंगित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी अपने विवेक का प्रयोग करेंगे और यह निर्धारित करेंगे कि क्या वह जांच रिपोर्ट से असहमत होंगे या उसे या उसके किसी हिस्से को स्वीकार करेंगे और कानून के अनुसार क्या कार्यवाही की जानी आवश्यक है।

वर्तमान प्रकरण में कोई अन्य आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।"

8. हमारे सामने अपीलकर्ताओं को विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष हस्तक्षेपकर्ता के रूप में पक्षकार बनाया गया। विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से खंडपीठ की उपरोक्त टिप्पणियों की सत्यता या अन्यथा पर प्रश्न उठाया गया है।

9. तत्कालीन प्रबंधक सोसाइटी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री बागची ने [1970] 3 एससीसी 321 *एन. स्वेन व अन्य बनाम बी.के. मोहापात्र व अन्य* एवं *[2006] 5 एससीसी 62 रवि राव गायकवाड़ व अन्य बनाम राजाजीनगर युवा समाज कल्याण एसोसिएशन व अन्य* में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए इस अपील को प्राथमिकता देने के अपीलकर्ताओं के अधिकार क्षेत्र पर प्रश्न उठाया।

10. इस प्रकरण में हस्तक्षेपकर्ताओं को एकल न्यायाधीश द्वारा न केवल हस्तक्षेप करने की अनुमति दी गई थी, बल्कि रिकॉर्ड्स से यह स्पष्ट है कि वे लेटर्स पेटेंट अपील में भी पक्षकार थे।

11. *एन. स्वैन* (सुप्रा) के मामले में, यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 133(1)(सी) के संदर्भ में एक प्रमाण पत्र प्रदान करने से संबंधित था और उस संदर्भ में यह देखा गया कि हस्तक्षेपकर्ताओं के

पास अपील करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं होने के कारण ऐसा प्रमाणपत्र उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता था।

12. रवि राव गायकवाड़ (सुप्रा) के मामले में, इस न्यायालय ने देखा कि हस्तक्षेप के आवेदन करने का उद्देश्य हस्तक्षेपकर्ताओं को एक या दूसरे पक्ष के समर्थन में तर्कों को संबोधित करने का अधिकार देना है।

13. अपीलकर्ता सोसाइटी के सदस्य हैं। वे उच्च न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रख रहे हैं। उन्हें लेटर्स पेटेंट अपील में पक्षकारों के रूप में शामिल किया गया। वे न केवल हस्तक्षेपकर्ता की हैसियत से, बल्कि व्यथित व्यक्ति के तौर पर भी विशेष अनुमति याचिका दायर करने के अधिकारी हैं। अपील की पोषणीयता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति खारिज की गयी।

14. निर्विवाद रूप से, बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के अंतर्गत नियुक्त सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार, जिसे राज्य संगठन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार झारखंड राज्य द्वारा राज्य के विभाजन के समय अपनाया गया था, एक सांविधिक प्राधिकरण है। सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार को उक्त अधिनियम की धारा 41 और/या धारा 48 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उचित आदेश पारित करने का अधिकार है। सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश अपील योग्य हैं।

15. जिसने भी प्रबंधक सोसाइटी के तत्कालीन सदस्यों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच की थी, निर्विवाद रूप से जांच रिपोर्ट रजिस्ट्रार के समक्ष रखी जानी है ताकि वह किसी निर्णय पर पहुंच सकें। इसलिए, सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित किया जाना चाहिए, जिसके लिए जांच रिपोर्ट पर गौर किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की रिपोर्ट निर्विवाद रूप से बहुत महत्वपूर्ण होगी, इस पर प्रभावी ढंग से विचार किया जाना चाहिए।

16. झारखंड राज्य ने अपने जवाबी हलफनामा में निम्नानुसार कथन कियेः

> "…..सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार को आपत्तियां आमंत्रित करने का निर्देश देने और श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट से असहमत होने की स्वतंत्रता ने एक तरह का भ्रम का पिटारा खोल दिया है और साथ ही एक बुरी मिसाल कायम की है क्योंकि कार्यकारी शाखा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा विधिवत गठित और इसके अलावा एक सेवानिवृत्त न्यायिक प्राधिकारी की अध्यक्षता वाली सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट को अधिभावी नहीं करती है।"

17. इस प्रकार, हमारी राय है कि इसके संबंध में कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं थी, यह कहना पर्याप्त है कि इस मामले में निर्णय

लेना सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार का काम है और उस उद्देश्य के लिए उच्च न्यायालय की खंडपीठ के लिए यह टिप्पणी करना पूर्णतया अनावश्यक था कि उक्त सांविधिक प्राधिकरण को प्रकरण में कैसे कार्य करना चाहिए। सांविधिक प्राधिकरण कानून के अनुसार कार्य करने और संविधि के चारों कोनों के भीतर अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए कर्तव्यबद्ध है।

18. इसलिए, हमारी राय है कि सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में की गई टिप्पणियों से किसी तरह से प्रभावित हुए बिना उसके समक्ष रखी गयी जांच रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक सामग्रियों के आधार पर लंबित मुद्दे का निर्धारण करने के लिए कार्य करेगा।

19. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ अपील स्वीकार की जाती है। कोई खर्चा अधिरोपित नहीं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी गीता सारण (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।